न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–222 / 2019
GCMS No. -2019/00578

1. श्रीमति शान्ती देवी पत्नी ओमप्रकाश ब्राहम्मण निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा राज०।

वादिया

बनाम

1. श्री विजय कुमार पिता रूपलाल ब्राहम्मण (भाद्वाज) निवासी बिनोता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

::निर्णय::

दिनांकः–07.11.2024

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि मोजा ग्राम बिनोता प०ह० बिनोता तह० निम्बाहेडा की आराजीयात जिसका विवरण इस प्रकार है, खाता संख्या 749 होकर आराजी नं0 2417 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, आनं0 2423 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आ0नं0 2425 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर स्थित वाके बिनोता प०ह० बिनोता तह० निम्बाहेडा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमा बंदी पेश है। प्रतिवादी विजय कुमार वादीया की खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने व हडपने की नियत से व बेदखल करने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करना कर आराजी पर कब्जा करने पर व वादीया को बेदखल करने पर अमादा है।

2. प्रतिवादी का वादीया से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नही है मात्र पडोसी है, तथा वादीया के अकेले व विधवा होने का फायदा उठा कर आराजी पर फर्जी तरीके से दस्तावेज बना कर आराजी पर कब्जा करने पर अमादा है व वादीया को बेदखल करने पर अमादा है इसलिये प्रतिवादी विजय कुमार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है कि वह वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से जबरन कब्जा करने का प्रयास करें न करावे ना ही किसी फर्जी दस्तावेज के माध्यम से आराजी को अपने नाम करा कर किसी अन्य व्यक्ति को खुर्द बुर्द नही करें न करावे [illegible] दखल दरामद करें न करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:36:20 IST
Reason: Self Attested

3. विवादग्रस्त आराजीयात [illegible] संख्या 1 में अंकित आराजीयात जो वादीया की खातेदारी व [illegible] भी प्रतिवादी बिना [illegible] हक अधिकार के वादीया को दिनांक 14 2019 को बेदख[illegible] करने की नियत से [illegible] किसी हक व अधिकार के आराजीयात में प्रवेश कर वादीया को उसके आराजीयात के उपयोग उपभोग करने से रोकने लगा व धमकी दी कि वह वादीया की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर के रहेगा व राजस्व रेकार्ड में वादीया की आराजीयात अपने नाम करा कर रहेगा। जिससे वादकारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 को पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त जवाब बन्द किया गया। वकील वादिया ने पत्रावली में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया वकील वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 2417 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, आनं0 2423 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आ0नं0 2425 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर स्थित वाके बिनोता प०ह० बिनोता तह० निम्बाहेडा स्थित भूमि एवं शपथ पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थिया का कब्जा साबित है। वादिया विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार है तथा कोई विधिक आधार प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं होने से भी वादिया के कथनों को बल मिलता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

5. अतः वाद वादिया का वाद कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादिया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 2417 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, आनं0 2423 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आ0नं0 2425 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर स्थित वाके बिनोता प०ह० बिनोता तह० निम्बाहेडा स्थित भूमि में वादिया को अपनी खातेदारी भूमि में वादिया को आने जाने में फसल बोने व सिंचित साधनो से हक हिस्से अनुसार आराजियात को सिंचित करने एवं फसल काटने ले जाने में एवं कृषि यंत्र बेलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में न तो कोई मदाखलत मजाहमत करे नहीं न ही अपने किसी एजेंट से करावें न ही वादी को जबरन धन व बल की ताकत से बेदखल करें न करावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:36:20 IST
Reason: SelfAttested